श्रम संवाद: लखनऊ में श्रम संहिताओं पर कार्यक्रम

श्रम / सामाजिक सुरक्षा | मुख्य परीक्षा | समाचार-संदर्भ: 24 अक्टूबर 2026 | प्रकाशित: 24 अक्टूबर 2026

खबरों में क्यों

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 24 अक्टूबर 2026 को घोषणा की कि उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से लखनऊ में 26-27 अक्टूबर को दो-दिवसीय राज्य-स्तरीय कार्यक्रम होगा। विषय श्रम संहिताएँ, श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा हैं। यह आगामी कार्यक्रम की घोषणा है, कार्यक्रम संपन्न होने की खबर नहीं।

श्रम संवाद क्या है

श्रम संवाद श्रम-सुधारों के बारे में जानकारी और क्षमता बढ़ाने का अभियान है। क्षमता-निर्माण का अर्थ संबंधित अधिकारियों, नियोक्ताओं और अन्य पक्षों को नियम समझने तथा लागू करने की तैयारी में मदद देना है। 28 सितंबर 2026 से शुरू यह 90-दिवसीय अभियान सभी 36 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के 316 जिलों में जिला-स्तरीय संवाद करता है। औद्योगिक समूहों वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान है।

घोषित कार्यक्रम

- **पहला दिन:** श्रम-सुधार, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक आवाजाही, असंगठित तथा गिग/प्लेटफॉर्म श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और निर्माण श्रमिकों की पहलें। गिग कार्य में प्रायः किसी विशेष काम या सेवा के आधार पर आय मिलती है; प्लेटफॉर्म कार्य डिजिटल मंच से जुड़ा हो सकता है।
- **डिजिटल मंच:** ई-श्रम, श्रम सुविधा पोर्टल, समाधान और लेबर स्टैक पर चर्चा की घोषणा है। तकनीक की उपयोगिता का मूल्यांकन वास्तविक सेवा-पहुँच से अलग से करना होगा।
- **दूसरा दिन:** चार श्रम संहिताओं की कानूनी अनुपालन-जरूरतें, प्रमुख योजनाएँ तथा बाल श्रम की रोकथाम, बचाव और पुनर्वास। अनुपालन का अर्थ लागू कानून की शर्तें पूरी करना है।
- **खुली चर्चा:** उद्योग और अन्य प्रतिभागियों की व्यावहारिक शंकाओं पर संवाद दोनों दिनों का हिस्सा होगा।

चार श्रम संहिताएँ

- **मजदूरी संहिता, 2019:** विज्ञप्ति में Code on Wages के नाम से उल्लिखित।
- **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020:** Industrial Relations Code।
- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:** Code on Social Security।
- **व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020:** Occupational Safety, Health and Working Conditions Code।

PCSMANTRA.COM

सावधानी: इस कार्यक्रम की घोषणा से किसी नई कानूनी प्रभावी तिथि या सभी राज्यों में समान क्रियान्वयन की स्थिति का निष्कर्ष नहीं निकाला गया है।

संदर्भ और विस्तृत व्याख्या

श्रम संवाद को समझने की कुंजी इसकी भूमिका में है: यह कानून बनाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि बने कानूनों को ज़मीन पर समझने और लागू करने की क्षमता बढ़ाने का अभियान है। 28 सितंबर 2026 से शुरू यह 90-दिवसीय अभियान सभी 36 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के 316 जिलों में जिला-स्तरीय संवाद करता है, औद्योगिक समूहों वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान के साथ। लखनऊ का दो-दिवसीय कार्यक्रम (26-27 अक्टूबर) इसी श्रृंखला का राज्य-स्तरीय चरण है।

चार श्रम संहिताओं के नाम और वर्ष परीक्षा के स्थायी तथ्य हैं: मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 — इनके अंग्रेज़ी नाम (Code on Wages, Industrial Relations Code आदि) भी विकल्पों में आ सकते हैं। कार्यक्रम की कार्ययोजना दो दिनों में बँटी है: पहले दिन श्रम-सुधार, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक आवाजाही, असंगठित तथा गिग/प्लेटफॉर्म श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और निर्माण-श्रमिक पहलें; दूसरे दिन संहिताओं की अनुपालन-जरूरतें, प्रमुख योजनाएँ और बाल श्रम की रोकथाम-बचाव-पुनर्वास। गिग कार्य का अर्थ किसी विशिष्ट काम या सेवा के आधार पर आय है और प्लेटफॉर्म कार्य डिजिटल मंच से जुड़ सकता है — सामाजिक सुरक्षा संहिता में इन्हीं वर्गों को दायरे में लाने की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है।

ई-श्रम, श्रम सुविधा पोर्टल, समाधान और लेबर स्टैक पर चर्चा डिजिटल-शासन की दिशा दिखाती है; लेख में ही सलाह है कि तकनीक की उपयोगिता का मूल्यांकन वास्तविक सेवा-पहुँच से अलग करें। अंतिम सावधानी: इस घोषणा से किसी नई प्रभावी तिथि या सभी राज्यों में समान क्रियान्वयन का निष्कर्ष न निकालें।

स्रोत

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति, 24 अक्टूबर 2026।

PCSMANTRA.COM